

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

1. हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला, हिसार, रोहतक, गुडगांव, करनाल एवं फरीदाबाद मण्डल।
2. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त एवं उपमण्डल अधिकारी।
3. हरियाणा राज्य के सभी बोर्ड/निगम/समितियां।

दिनांक, चण्डीगढ़ 16 अगस्त, 2018

**विषय:- क्लर्क भर्ती 10/2015 कैट-1 की प्रतीक्षा सूची बारे।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपका ध्यान आकर्षित करते हुये यह कहने का निर्देश हुआ है कि पत्र क्रमांक 52/06/2018-3जी0एस01, दिनांक 19.03.2018 के तहत सभी विभागों/आयुक्तों/उपायुक्तों से अनुरोध किया गया था कि क्लर्क भर्ती 10/2015 कैट-1 की मूल सूची में से कितने उम्मीदवारों द्वारा क्लर्क के पद पर ज्वाइन कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त सूचना के आधार पर कुछ उम्मीदवारों द्वारा सम्बन्धित विभागों में कार्यग्रहण नहीं किया गया है।


2. सरकार ने इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए यह निर्णय लिया है कि हिदायतें क्रमांक 5024-1जी0एस01-72/26877, दिनांक 08.09.1972 के प्रावधानुसार जिन उम्मीदवारों ने लिपिक के पद के विरुद्ध उचित अवसर प्रदान किये जाने के फलस्वरूप भी अपना कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है तो सम्बन्धित विभाग ऐसे उम्मीदवार का कैंपडीडेचर अपने स्तर पर रद्द करें तथा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी प्रतीक्षा सूचि में से सम्बन्धित वर्ग के विरुद्ध नियुक्ति देने बारे कार्यवाही सम्बन्धित विभाग द्वारा अपने स्तर पर करें। यदि प्रतीक्षा सूचि आयोग द्वारा नहीं भेजी गई है तो इस सम्बन्ध में विभाग आयोग से तुरन्त सम्पर्क करें।

3. इसके लिए हिदायतें दिनांक 08.09.1972 के पैरा-3 में एक मुस्त सामान्य रूप से छूट प्रदान की जाती है।

4. आपसे अनुरोध किया जाता है कि कृपया अपने अधीन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के नोटिस मे अनुपालना के लिए ला दें।

  
अधीक्षक, सामान्य सेवायें-1 शाखा,  
कृते मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

  
अधीक्षक, सामान्य सेवायें-1 शाखा,  
कृते मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

हरियाणा सरकार के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव।

अशां क्रमांक:-42/11/2018-2जी0एस01

दिनांक, चण्डीगढ़ 16 अगस्त, 2018

पृष्ठक्रमांक :- 42/11/2018-2जी0एस01

दिनांक, चण्डीगढ़ 16 अगस्त, 2018

एक प्रति हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु

भेजी जाती है।

  
अधीक्षक, सामान्य सेवायें-1 शाखा,  
कृते मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।